न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 107/2021 **दायर दिनांकः– 05/07/2021**

उनवान

1. कंचन बाई उम्र 65 वर्ष पत्नि जुवारीलाल उर्फ जवाहरलाल जाति मीना निवासी ढोटी तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. दुर्गाशंकर उम्र 42 वर्ष पुत्र जुवारीलाल उर्फ जवाहरलाल जाति मीना निवासी ढोटी तह0 अटरू जिला बारां राज0।
3. राधा बाई उम्र 55 वर्ष पत्नि जुवारीलाल उर्फ जवाहरलाल जाति मीना निवासी ढोटी तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. जानकीलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
2. पप्पू उम्र 55 वर्ष पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
3. भोजराज उम्र 51 वर्ष पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
4. कैलाश बाई उम्र 60 वर्ष पत्नि रामकरण जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
5. नरेन्द्र राज उम्र 43 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
6. रामप्रसाद उम्र 41 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
7. रामहेत उम्र 39 वर्ष पुत्री रामकरण जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
8. द्रोपती बाई उम्र 40 वर्ष पुत्री रामनाथ जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
9. धनपाल उम्र 42 वर्ष पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
10. भरोसी बाई उम्र 38 वर्ष पुत्री रामनाथ जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
11. रामप्रसाद उम्र 36 वर्ष पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
12. सुखपाल उम्र 34 वर्ष पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
13. रामचरण उम्र 51 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
14. द्वारिका बाई उम्र 49 वर्ष पुत्री हीरालाल जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
15. हेमराज उम्र 47 वर्ष पुत्री हीरालाल जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
16. बद्री बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री हीरालाल जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
17. भोली बाई उम्र 49 वर्ष रामेश्वर जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
18. शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा अटरू [illegible]।
19. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सहित अटरू जिला बारां (राज0)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीः—   विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीः—   विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।

आदेश   दिनाकः 22/07/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के अनुसार ग्राम एंव माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 155 का ख0नं0 1702 का रकबा 1.37 है0, ख0न0 1707 का रकबा 1.41 है0, कुल किता 2 का रकबा 2.78 है0 भूमि स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है।

वाद पत्र की मद0 1 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 17 के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। खातेदार जवाहरलाल उर्फ जुवारीलाल का स्वर्गवास हो चूका है। वादीगण मृतक जवाहरलाल के विधिक प्रतिनिधि उत्तराधिकारी एवं वारिसान है। खातेदार बच्ची बाई का स्वर्गवास हो चूका है। इसके विधिक प्रतिनिधी उत्तराधिकारी एवं वारिसान प्रतिवादी कम 1 ता 3 एव क्रम 17 भोली बाई है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण ने मृतक जवाहरलाल उर्फ जुवारीलाल के विधिक प्रतिनिधि उत्तराधिकारी एवं वारिसान होने से पटवारी हल्का को नामान्तरण दर्ज करने का निवेदन किया था। पटवारी हल्का ने खाता संख्या 186 में मृतक जुवारीलाल के स्थान पर वादीगण के पक्ष में नामान्तरण दर्ज कर दिया। लेकिन वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 155 में वादीगण के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नहीं किया। वादीगण के पिता के हिस्से की भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादीगण मृतक जुवारीलाल उर्फ जवाहरलाल के उत्तराधिकारी होने से उनके खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी हैं वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित भूमि संयुक्त खाते की भूमि होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कब्जे काश्त को लेकर व लगान को लेकर तथा सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि में खाता पृथक नही होने से सुधार एवं विकास कार्य नही करवा पा रहें है ना ही ऋण प्राप्त कर पा रहें हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 29.06.2020 को हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारे के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा करवाने से मना कर दिया। बिना सहायता न्यायालय बंटवारा करवाया जाना संभव नही है। अस्तु वादीगण मृतक जवाहरलाल उर्फ जुवारीलाल के स्थान पर वारिसान होने से खातेदार कृषक घोषित होकर तथा बंटवारा करवाकर रा[illegible]र्ड में पृथक से अंकन करवा पाने के अधिकारी है। इस हेतु यह वाद मा[illegible] न्यायालय में [illegible]त है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि बैंक ऑफ बडोदा शाखा अटरू के [illegible] 18 को पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में अ[illegible]यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी कम 19 बनाया गया है।

वाद कारण प्रथम बार व अन्तिम बार वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का दिनांक 29.06.2021 को खाता विभाजन करवाने का प्रतिवादीगण से निवेदन करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:30 IST
Reason: SelfAttested

एवं उनके द्वारा इन्कार कर लडाई झगडा कर आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने पर अंतिम बार माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे बमुकाम ग्राम ढोटी में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद उचित न्याय शुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे दावा पेश कर वादीगण निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी ग्राम एवं माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 155 की कुल किता 2 का रकबा 2.78 है0 भूमि में वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का खाता विभाजन कर वादीगण का हिस्सा पृथक से खाते दर्ज कर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाए। इस हेतु प्रतिवादी क्रम 19 को आदेश प्रदान किया जाए।

(ब) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाए कि वह वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से वादीगण को बेदखल नहीं करे तथा वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें और ना ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का बिना खाता विभाजन हुए वादीगण के हिस्से तक की भूमि को रहन बेचान व खुर्द–बुर्द नही करें।

(स) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के अनुसार ग्राम एवं माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 155 का ख0नं0 1702 का रकबा 1.37 है0, ख0न0 1707 का रकबा 1.41 है0, आराजी कुल किता 2 का रकबा 2.78 है0 भूमि स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 17 के शामिल शुदा खाते दर्ज चली आ रही है। खातेदार जवाहरलाल उर्फ जुवारीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण मृतक जवाहरलाल के विधिक प्रतिनिधी उत्तराधिकारी एवं वारिसान है। खातेदार [illegible] बाई का स्वर्गवास हो चुका है। इसके विधिक प्रतिनिधि उत्तराधिकारी एवं वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 एव क्रम 17 भोली बाई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से राजीनामा हुआ है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 18:25:30 IST
Reason: SelfAttested

(अ) वादीगण के हिस्से एवं कब्जे में ख0नं0 1760 का रकबा 1.41 है0 भूमि रहेगी।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के हिस्से स्वामित्व एवं कब्जे में ख0नं0 1702 का रकबा 1.37 है0 भूमि हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।

(स) प्रतिवादीक्रम 4 ता 17 ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में हकत्याग कर दिया है।

(द) प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के हिस्से की भूमि बैंक ऑफ बडोदा शाखा अटरू के रहन दर्ज रहेगी।

अतः माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वादीगण को जुवारीलाल उर्फ जवाहरलाल का विधिक प्रतिनिधि घोषित किया जाकर ख0नं0 1707 का रकबा 1.41 है भूमि बंटवारा कर दर्ज खाते की जावे तथा ख0नं0 1702 का रकबा 1.37 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खाते दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण के खाते की भूमि पर बैंक ऑफ बडौदा का रहन दर्ज किया जावे। इस आशय का निर्णय पारित किया जाकर डिक्री पारित की जावे।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री चन्द्रप्रकाश योगी द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम एंव माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 155 का ख0नं0 1702 का रकबा 1.37 है0, ख0न0 1707 का रकबा 1.41 है0, कुल किता 2 का रकबा 2.78 है0 आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 17 के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जो पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से अधिकार नियत है। न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एंव माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 155 का ख0नं0 1702 का रकबा 1.37 है0, ख0न0 1707 का रकबा 1.41 है0, कुल किता 2 का रकबा 2.78 है0 में आपसी सहमति बनने एवं प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 17 द्वारा हकत्याग करने से वादीगण 1 ता 3 को ख0नं0 1760 का रकबा 1.41 है0 भूमि तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को ख0नं0 1702 का रकबा 1.37 है0 भूमि का पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के 11/150– 11/150 हिस्सा भूमि पूर्ववत् बैंक ऑफ बडोदा शाखा अटरू के रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:30 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनश कुमार मीना (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 107/2021

उनवान

1. कंचन बाई उम्र 65 वर्ष पत्नि जुवारीलाल उर्फ जवाहरलाल जाति मीना निवासी ढोटी तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. दुर्गाशंकर उम्र 42 वर्ष पुत्र जुवारीलाल उर्फ जवाहरलाल जाति मीना निवासी ढोटी तह0 अटरू जिला बारां राज0।
3. राधा बाई उम्र 55 वर्ष पत्नि जुवारीलाल उर्फ जवाहरलाल जाति मीना निवासी ढोटी तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. जानकीलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
2. पप्पू उम्र 55 वर्ष पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
3. भोजराज उम्र 51 वर्ष पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
4. कैलाश बाई उम्र 60 वर्ष पत्नि रामकरण जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
5. नरेन्द्र राज उम्र 43 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
6. रामप्रसाद उम्र 41 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
7. रामहेत उम्र 39 वर्ष पुत्री रामकरण जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
8. द्रोपती बाई उम्र 40 वर्ष पुत्री रामनाथ जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
9. धनपाल उम्र 42 वर्ष पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
10. भरोसी बाई उम्र 38 वर्ष पुत्री रामनाथ जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
11. रामप्रसाद उम्र 36 वर्ष पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
12. सुखपाल उम्र 34 वर्ष पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
13. रामचरण उम्र 51 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
14. द्वारिका बाई उम्र 49 वर्ष पुत्री हीरालाल जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
15. हेमराज उम्र 47 वर्ष पुत्री हीरालाल जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
16. बद्री बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री हीरालाल जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
17. भोली बाई उम्र 49 वर्ष रामेश्वर जाति मीना निवासी ढ़ोटी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)।
18. शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडोदा शाखा अटरू राज0।
19. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती विवादित आराजी ग्राम एंव माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 155 का ख0नं0 1702 का रकबा 1.37 है0, ख0न0 1707 का रकबा 1.41 है0, कुल किता 2 का रकबा 2.78 है0 में आपसी सहमति बनने एवं प्रतिवादी कम 4 लगायत 17 द्वारा हकत्याग करने से वादीगण 1 ता 3 को ख0नं0 1760 का रकबा 1.41 है0 भूमि तथा प्रतिवादी कम 1 ता 3 को ख0नं0 1702 का रकबा 1.37 है0 भूमि का पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी कम 1 ता 3 के 11/150– 11/150 हिस्सा भूमि पूर्ववत् बैंक ऑफ बडोदा शाखा अटरू के रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X........................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.07.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:30 IST
Reason: SelfAttested